बलात्कार के ख़िलाफ़

महिला संगठनों की राष्ट्रीय बैठक

23 से 25 अप्रैल 1990 ■ मुम्बई

नारी अत्याचार विरोधी मंच

मैं निश्चिन्त हो पेड़ की छाया में जाकर सो जाया करती थी फिर ऐसा कुछ हुआ कि..... आज मैं डरती हूँ, घबराती हूँ..... मेरे साथ ये सब करने का किसी को भी क्या हक़ है? मेरी सुरक्षा की भावना छीनने का?''

''सभी मर्द सभी औरतों के ख़िलाफ़ बलात्कार के हथियार का इस्तेमाल करते हैं..... जब तक एक भी औरत के साथ बलात्कार होता है सभी औरतें बलात्कार के डर के साथ जीती हैं। यह सभी औरतों को उनकी हैसियत की याद दिलाता है जो मर्दों से नीची है।''

''अगर मेरे साथ बलात्कार हो तो क्या मैं सबको बताऊँगी? क्या बलात्कार जान जाने से भी बड़ी बदकिस्मती है? क्या यह बड़ी बात नहीं कि मैं ज़िन्दा रहूँ?''

''शायद बलात्कार ही ऐसा जुर्म है जिसमें जुर्म के शिकार के साथ मुजरिम जैसा बर्ताव किया जाता है।''

''बलात्कार की शिकार औरत को क्या मिलता है? कोई मुआवज़ा नहीं और बलात्कार करने वाले को? सज़ा, शायद?

''सबसे पहले कब बलात्कार के बारे में कानून बना और उसे जुर्म माना गया?''

''यह उस औरत की मर्ज़ी है कि वह उस हमले को किस ढंग से ले..... अगर वह इसको लेकर परेशान नहीं होना चाहती तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वह खुद को कुचला हुआ महसूस करे।''

23 से 25 अप्रैल 1990 को कई स्त्री संगठन बम्बई में बलात्कार सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी में मिले ताकि बलात्कार के मसले को परखा जाये तथा औरतों के आन्दोलन का, विशेष तौर पर पिछले दस सालों में इसके लिये क्या रवैया रहा है इसे जाँचा जाये। मथुरा, रमीज़ा बी, माया त्यागी, सुमन रानी, मुक्ति दत्ता जैसे कई नाम हमारे दिमाग में उठते हैं और उसके अलावा अनेक ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम। इन सबने स्त्री आन्दोलन को औरतों पर होने वाले हमलों के विरुद्ध और बलात्कार सम्बन्धी कानूनों में बदलाव के लिये देश भर में अभियान चलाने के लिये प्रेरित किया। लेकिन इस अभियान और कानून में बदलाव के बावजूद बलात्कारों की गिनती, मौजूदा कानून और कानूनी ढर्रे की कमज़ोरियों का फायदा उठाने के उदाहरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यह समझ भी बढ़ी है कि बलात्कार अपने आप में सिर्फ़ एक घटना नहीं है बल्कि उसके पंजे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में धँसे हुए हैं जिसकी वजह से हमें इसका मुकाबला करने के लिये अपनी रणनीति, विरोध के तरीकों और कार्रवाई के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा।

'नारी अत्याचार विरोधी मंच' — बम्बई, ने इस मसले पर सोच विचार के लिये राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाई और निम्न सवाल उठाये:

क्या हम बलात्कार की अधिक सही और सम्पूर्ण परिभाषा कर सकती हैं?

क्या सबूत देने की ज़िम्मेदारी बलात्कार करने वाले पर डाली जा सकती है। लोगों में इस बात की चेतना लाने में हम कितनी कामयाब रही हैं?

कानूनी व्यवस्था से निपटने में हम कितनी सफल रही हैं?

क्या बलात्कार के ख़ास उदाहरणों में हम तसल्ली लायक कार्रवाई कर पाई हैं?

क्या हमारे तरीके असरदार हैं?

क्या हम बलात्कार की गई औरतों को पूरा सहारा दे सकी हैं?

तीन दिनों की इस बैठक में कई संगठनों की क़रीब 80 औरतों ने बलात्कार के अपने अनुभवों के आधार पर बड़े विस्तार से बात की। स्त्रियों के अनुभवों की गहराई और शिद्दत इस चर्चा की ख़ास उपलब्धि थी। औरतों ने बलात्कार अथवा यौन हमलों के अपने व्यक्तिगत अनुभव सुनाए, कुछ उदाहरणों में तो वे उनके बारे में पहली बार बात कर रही थीं। संगठनों ने इस प्रकार के जिन मामलों से निपटा था उनकी चर्चा की और किस तरह से बलात्कार की नई परिभाषा बनाई जाये और उस नई परिभाषा के अनुसार उससे कैसे निपटें, इस बुनियादी सवाल को उठाने से पैदा हुई समस्याओं के बारे में भी बातचीत हुई।

इस बैठक की शुरुआत में थोड़े से समय व शब्दों में दोहराया गया कि किस प्रकार से स्त्री-आन्दोलन ने बलात्कार के विरुद्ध अभियान चलाया था। मथुरा के साथ हुए बलात्कार को दूर दूर तक प्रचारित किया, कानून में बदलाव के लिये आन्दोलन किया तथा सरकारी संरक्षण के दौरान होने वाले बलात्कार के मुद्दे पर लोगों का ध्यान दिलाया। (मथुरा का मामला पुलिस संरक्षण में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का उदाहरण है।) पिछले सालों में स्त्री संगठनों को जिन अनेक प्रकार के बलात्कारों से निपटना पड़ा है उससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी भयंकर है।
विभिन्न प्रकार के बलात्कारों को सामने रखा जैसे –

- साम्प्रदायिक बलात्कार
- सामूहिक बलात्कार
- राजनैतिक बलात्कार
- नाबालिग के साथ बलात्कार
- विवाह में बलात्कार
- सैनिक बलात्कार (युद्ध अथवा शान्ति स्थापना के लिये सेना के इस्तेमाल की स्थिति में)
- संस्थाओं में बलात्कार (अस्पताल, जेल तथा सुधारगृह आदि में)
- आर्थिक निर्भरता की स्थिति में
- राजनैतिक संगठनों के भीतर बलात्कार

पिछले दस सालों में स्त्री संगठनों की कार्रवाइयों से इस पूरे ढर्रे पर थोड़ा सा ही असर पड़ा है। बलात्कार कानून में परिवर्तन करके औरतों को कुछ थोड़ी सी सहूलियत दी गई लेकिन गवाही सम्बन्धी कानून, सबूत की ज़िम्मेदारी, औरत का नैतिक चरित्र या उसका यौन सम्बन्धी चाल चलन तथा कम से कम सज़ा की सीमा आदि के बारे में जिन बड़े बदलावों की माँग की गई थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। स्वतंत्र स्त्री आन्दोलन ने यह पाया कि उनकी सबसे बड़ी हार बलात्कार की शिकार औरतों को पूरी तौर पर ठोस सहारा न दे पाना है।

यह भी महसूस किया गया कि सच तो यह है कि ज़्यादातर मिसालों में हम लोग कानूनी ढंग से नुकसान की भरपाई भी नहीं करवा सकी हैं। कई स्त्री संगठनों ने बड़े विस्तार से कानून और कानूनी ढर्रे से हुई निराशा के बारे में बात की। कानूनी कार्रवाई बरसों चलती है जिससे औरत को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और समाज में हुई औरत की बेइज़्ज़ती या उसके नाम पर लगे धब्बे पर कोई असर नहीं होता। कानून से न्याय की आशा करने की हमारी नीति को कानूनी व्यवस्था की कमज़ोरियों तथा ठीक समय में सही न्याय दे पाने में कानून की असफलता के कारण बड़ा धक्का लगा है। इसकी वजह से ही आज बलात्कार की जो परिभाषा मानी जाती है उसके ख़िलाफ़ असंतोष भी पैदा हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने महसूस किया कि बलात्कार की परिभाषा में पुरुष लिंग द्वारा योनि में प्रवेश पर ज़ोर देना पुरुषवादी और पितृसत्तात्मक नज़रिया है। क्योंकि अन्य प्रकार के यौन अत्याचारों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता (जो औरत के लिये उतने ही हिंसक और अपमानित करने वाले हैं चाहे उनमें लिंग प्रवेश न होता हो) इसलिये स्त्रियों और नारीवादी नज़रिये से इस मुद्दे को दोबारा परखना ज़रूरी हो जाता है ताकि भविष्य की नीतियाँ और नई परिभाषा तय की जा सकें।

बलात्कार के बारे में पूरे सोच को बदलने की वजह कुछ औरतों के व्यक्तिगत अनुभव और यादें थीं और साथ ही वहाँ मौजूद अनेक संगठनों द्वारा बताये गये उदाहरणों का विस्तृत ब्योरा था। हर एक ने ख़ास-ख़ास समस्याओं पर रोशनी डाली और यह पाया कि ये उदाहरण कहीं न कहीं सामाजिक-राजनैतिक सच्चाइयों से जाकर जुड़ते हैं। यही कोशिश की गई कि इस सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जाल के बीच में बलात्कार का 'मुद्दा' ही मुख्य रहे।

''बलात्कार के पीछे सिर्फ़ यौन प्रेरणा नहीं होती है बल्कि यह ताक़त दर्शाने वाला हथियार है.....। यह औरत के जिस्म और दिमाग़ पर हमला है।''

एक नौ महीने की गर्भवती घरेलू नौकरानी के साथ मालिक बार-बार बलात्कार करता है और उसके मुकदमे का कुछ नहीं होता। उसकी सहायता करने वाले समूह से उसने कहा ''क्यों तुम लोग मेरी ख़ातिर दौड़ भाग कर रहे हो मेरी परेशानी तो ये है कि मुझे कल रोटी कहाँ से मिलेगी''

गोवा की विधान सभा के अध्यक्ष ने अपने दफ्तर की एक जवान कर्मचारी पर यौन हमला करने की कोशिश की; बंगलोर की एक संस्था के सामने पारिवारिक बलात्कार का घिनौना मामला लाया जाता है — एक पिता बेटी के साथ बलात्कार करता है; दादा अपनी पोती के साथ बलात्कार करता है; सुमन रानी के बलात्कारी की सज़ा आधी कर दी जाती है क्योंकि न्यायाधीश के उसका चालचलन ठीक नहीं लगता; सी.पी.एम. का एक कार्यकर्ता एक स्त्री कर्मक के साथ बलात्कार करता है; रोज़ाना कितने ही नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होता है; श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना ने यौन अत्याचार किये (पेरूमल का कहना है शायद उन्होंने बलात्कार किये, तो क्या हुआ?) एक भारतीय विमान परिचारिका को फुसला कर कमरे में ले जाया गया, ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर बलात्कार किया, प्रबन्धक इस बारे में कुछ नहीं करते; एलफिन्स्टन कॉलेज की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है उसके पिता चुपचाप उसे शहर से बाहर भिजवा देते हैं कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में 8 और 13 साल के लड़के अपने साथ खेलने वाली 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। एक जवान औरत को अपने पति से गन्दी बीमारी लग जाती है (मैंने तुम्हें कहा था बच्चा पैदा करने माँ के घर मत जाओ मजबूरन मुझे वेश्या के पास जाना पड़ा और यह बीमारी लग गई)–ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं।

आपस में मिल-बाँटे गये बहुत से अनुभवों में से 6-8 उदाहरण संक्षेप में यहाँ दिये गये हैं। इनके माध्यम से हमें बलात्कार की गुत्थियों के बारे में पता चलता है और उनके आधार पर अपनी नीतियों को भी परख सकते हैं।

उदाहरण 1 : स्त्री मज़दूर आन्दोलन (तमिलनाडु)

एक इमारती मज़दूर को ज़बरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया और बलात्कार किया गया। उसने इस बलात्कार की शिकायत एक महिला संगठन (RWLM) से की जिन्होंने उसका मामला गाँव की पंचायत के सामने रखा (हमारी नीति यह है कि पुलिस के पास कभी न जाओ) औरत ने हरजाना माँगा और वह उसे उस आदमी की सम्पत्ति के एक हिस्से के रूप में मिला। जब उससे पूछा गया कि क्या वह उससे शादी करेगी तो उसने इंकार कर दिया।

प्रायः इस महिला संगठन का अनुभव यही है कि औरत की रज़ामन्दी लेकर बलात्कारी के साथ उस औरत की शादी कर दी जाती है। अगर औरत शादी के लिये तैयार हो तो समूह शादी का बन्दोबस्त कर देता है। कभी कभी तो वह बलात्कारी की दूसरी पत्नी होती है। औरतों का ख्याल है कि बलात्कार के बाद वे इज़्ज़त से नहीं रह पायेंगी, कोई उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा। चूंकि वे एक तरह से समाज से बाहर निकाली हुई हो जाती हैं इसीलिये बलात्कारी से शादी करने को तैयार हो जाती हैं। सवाल यह उठा कि आखिर किस तरह से एक औरत अपने बलात्कारी से शादी करने को तैयार हो सकती है? औरतों का जवाब था –''वह औरत सामाजिक रूप से बेकार हो चुकी है वह अब उस गाँव में नहीं रह सकती तो फिर अच्छा यही है कि वो उससे शादी कर के कम से कम कुछ शर्मिन्दगी तो दूर कर दे। हम लोग उससे लिखित में वायदा ले लेती हैं कि वह उसे तंग या परेशान नहीं करेगा।" अनेक उदाहरणों में इसके अलावा औरतें आत्महत्या का रास्ता ही देखती हैं।

''तमिल सिनेमा में भी औरत की इज़्ज़त का विचार इतनी गहराई से जमा हुआ है कि फ़िल्म के अन्त में बलात्कारी उस औरत से शादी कर लेता है — यही उसका संदेश है।''

उदाहरण 2 : बाईलान्चो साद-गोवा

(अ) वास्को नगर में नौ महीने की गर्भवती घरेलू नौकरानी के साथ उसके मालिक और तीन दोस्तों ने मिल कर सामूहिक बलात्कार किया। उसने कहा यही किस्मत में था। उसने पड़ौसी से एक साड़ी माँगी जिसने पुलिस को खबर कर दी। हमने उसका मामला हाथ में लिया, जनता ने खूब शोर मचाया उनमें से एक बलात्कारी किसी राजनीतिज्ञ का साथी था। उसने औरत की चुप्पी खरीदने की कोशिश भी की, हजारों रुपयों का लालच दिया। हमने ध्यान रखा कि कहीं उसे पैसे दे दिला कर वास्को से बाहर न भेज दिया जाये। हम लोगों ने इस मामले को कानूनी मुकदमा बनाने की कोशिश की लेकिन रासायनिक पड़ताल का कोई निश्चित नतीजा न निकलने की वजह से अटक गये। वह बार-बार कहती है "तुम क्यों चिन्ता करते हो? मेरी परेशानी तो यह है कि अगले वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा। कम से कम मैं मरी तो नहीं।" अब हम क्या करें? कैसे उसकी मदद करें?

(ब) गोवा विधानसभा अध्यक्ष नर्वेकर पर एक स्त्री कर्मचारी पर यौन हमला करने का आरोप लगाया गया। बाईलान्चो साद ने खूब हो-हल्ला मचाया, सार्वजनिक तौर पर उसे शर्मिन्दा किया, मामले का खूब प्रचार करके पत्रों में छपा कर उसके खिलाफ़ दबाव बनाये रखा। "इस बार हमने मामला दर्ज़ करवाने से इंकार कर दिया, हमें मालूम था उसकी पहुँच दूर दूर तक है, यह मामला चलेगा नहीं। उसकी गड़बड़ियों के सबूत देने की ज़िम्मेदारी हम पर पड़ जायेगी। हमने कहा अगर वो चाहे तो उसे मानहानि का मुकदमा दायर करने दो तब हम ज़ोर देंगे कि उसने यौन हमला किया। ज़ाहिर है उसने मुकदमा नहीं किया और हमने चुनावों के दौरान उसके ख़िलाफ़ अभियान चलाया। हमारी सफलता यह थी कि वह सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के सवाल पर चुनाव हार गया।

ऊपर दिये गये दो मामलों में बाईलान्चो साद ने जानबूझ कर दो विपरीत नीतियों का इस्तेमाल किया, एक (शायद) सफलतापूर्वक दूसरी असफल "पर हमारे सामने समस्या यह है कि कब हम कोई मामला पुलिस के पास ले जाएं? जिस औरत के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उसने हमें पुलिस के पास जाने को नहीं कहा और हम लोग उसके लिये कुछ ख़ास नहीं कर पाये। सच तो यह है कि इन घूमते-फिरते मज़दूरों से कोई नहीं पूछता कि क्या वे अपना मामला दर्ज़ करवाना चाहती हैं या नहीं और अगर उनसे पूछा भी जाये तो वे कहेंगीं "बाबा" हमें अकेला छोड़ दो पुलिस या अदालत में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नर्वेकर के मामले में भी लड़की ने सिर्फ़ नौकरी बदल दिये जाने की माँग की थी।

उदाहरण 3 : विमोचना (बंगलोर)

विमोचना ने कई मामलों को दोहराया और हर एक पिछले से अधिक दिल दहलाने वाला था। एक जाने माने डाक्टर से उसकी पत्नी को यौन बीमारी की छूत लगी। डाक्टर को यह बीमारी एक वैश्या से मिली थी। उसका कहना था कि चूंकि उसकी पत्नी बच्चा पैदा करने मायके गई हुई थी उसे वेश्या के पास जाना पड़ा क्योंकि उसे हर रोज़ स्त्री का सहवास चाहिये।

एक साढ़े छः साल की बच्ची के साथ 75 साल के दादा ने बलात्कार किया "हम लोग उस बूढ़े से जाकर मिले। पुलिस थाने में अपनी सफ़ेद दाढी सहलाते हुए उसने अधिकारी को बताया "मैंने विवेकानन्द और टैगोर को पढ़ा है क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ?" उन्होंने बच्ची के लिये यौन बीमारी का मामला दर्ज़ कर लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा "क्या इतने बूढ़े आदमी का लिंग सख्त हो सकता है? हम बच्ची का संरक्षण माँ को भी नहीं दिलवा सकते। उसका पिता एक 'इज़्ज़तदार' आदमी है, उसकी अच्छी नौकरी है।

स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को परिवार का एक जानकार बार-बार तंग करता है। उस लड़की का भाई डाक्टर है लेकिन लड़की इस बारे में कुछ कह नहीं पाई। उसके पास बैठ कर जो कुछ हुआ वह पूछना बड़ा तकलीफ़देह था। वह कहती थी "वो रात को आता था और पन्द्रह मिनट बाद चला जाता था। भगवान जाने कब से यह सब हो रहा था। हमने भाई से पूछ ताछ की वह बहुत रूखे ढंग से मिला। उसने कहा— यह हमारा घरेलू मामला है, आपके पास आकर बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई बेचारी लड़की को ताले में बंद कर दिया गया....।

कभी कभी स्त्री संगठन के रूप में हमें अपने कर्तव्य समझ में नहीं आते। इस तरह के मामलों में नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, हिंसा होती है तथा औरत की आर्थिक निर्भरता की वजह से हालात और उलझ जाते हैं। जो कुछ हो रहा होता है उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। कोई भी मामला दर्ज़ कराने के लिये ज़ोर देने की इच्छा नहीं होती जब तक कि खुद वह औरत ऐसा न चाहे।।

इन कहानियों के माध्यम से परिवार के सन्दर्भ में बलात्कार को लेकर और कई मुश्किल सवाल उठ खड़े होते हैं। तथा औरतों को लेकर स्त्री संगठनों के सामने आने वाले धर्म संकट की स्थितियाँ उजागर होती हैं। घर परिवार के दबाव के सामने औरत शायद चुप हो जाये और चुप न भी हो तो सामाजिक पूर्वाग्रह और दबाने-छिपाने की भावना के कारण कौन उसकी बात का यकीन करेगा। किस तरह से स्त्री संगठन बलात्कार की गई औरत की मदद करें, उसके अपने परिवार को चुनौती दें जबकि उनके ही सामाजिक-आर्थिक सहारे पर वह ज़िन्दा है?

उदाहरण 4 : एलफिन्स्टन कॉलेज बलात्कार (बम्बई)

कॉलेज द्वारा आयोजित डाँडिया रास कार्यक्रम के दौरान एक लड़की के साथ उसके छः साथी विद्यार्थियों ने बलात्कार किया। लड़की के पिता ने फुर्ती से उसे कॉलेज से हटा लिया और बलात्कार की घटना से साफ़ इंकार किया। उन्होंने कहा वह केवल 'भद्दा सुलूक' था। छात्रों ने यह मामला उठाया, ज़ोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया, परीक्षाओं का बहिष्कार किया। यह खबर पत्रकारों ने भी पकड़ी और बड़े स्तर पर छापी गई। उस समूह के नेता को कॉलेज से निकाल दिया गया (हालांकि वो अब भी वहाँ आता जाता है) उसके और तीन साथियों को भी कॉलेज से हटा दिया गया पर उन्हें दूसरी जगहों पर दाखिला मिल गया है। स्त्री संगठन इस मामले को उठाने के बहुत इच्छुक थे लेकिन लड़की के परिवार ने सुनिश्चित कर दिया कि न लड़की कुछ बोले न उसका कोई अता-पता किसी को मिल पाये।

उदाहरण 5 : मैत्रेयी (हैदराबाद)

एक जवान लड़की का उसके मंगेतर ने अपहरण कर लिया और अपने घर ले गया और बलात्कार किया। जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने शादी तोड़ दी। जब लड़की के पिता को पता चला तो उसने लड़की को घर से निकाल दिया। अब वह लड़की बदले के रूप में चाहती है कि लड़का उसी के साथ शादी करे और किसी के साथ नहीं 'मेरी आखिरी जीत तभी होगी जब वह मेरे गले में मंगलसूत्र पहनायेगा।' वह मदद के लिये एक स्त्री संगठन के पास आई। मैत्रेयी का कहना है कि "हम उसकी इच्छा जान कर चकित रह गईं। हमने लड़के की डॉक्टरी की परीक्षाओं के समय उसके कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। उसके बाद मंजुला के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने लड़के को गिरफ़्तार भी किया लेकिन ज़मानत पर छोड़ दिया, हमारी माँग थी— बलात्कारी को सज़ा मिले। हमें उम्मीद थी कि समय के साथ मंजुला उससे शादी करने की इच्छा बदल देगी। उसके ख़िलाफ़ आरोप साबित हो चुके हैं, वो जेल में है लेकिन मंजुला फिर भी उससे शादी करना चाहती है। वो मंजुला से शादी करने के लिये 30 लाख रुपये माँग रहा है। इस मामले को बहुत बदनामी मिली, राजनीतिक दखलअन्दाज़ी भी हुई। हम समझ नहीं पाये कि इससे कैसे निपटा जाना चाहिये।"

राजनीतिक तत्व, बदनामी, समझ और नीतियों में फर्क़ जैसे मुद्दे मुक्ति दत्ता के मामले में भी थे। इस तरह के मामलों के साथ स्त्री संगठनों के जुड़ाव को लेकर कई मुश्किल सवाल उठते हैं।

उदाहरण 6 : मुक्तिदत्ता (दिल्ली)

पर्यावरण मंत्री ज़ैड.ए. अन्सारी ने अपने दफ्तर के व्यक्तिगत कक्ष में एक युवा सामाजिक कर्मक मुक्ति दत्ता पर यौन हमला किया जहाँ वह उनसे किसी सरकारी काम के सिलसिले में मिलने गई थी। उसने सरकारी सचिवों और उच्च अधिकारियों से न्याय पाने के लिये कोशिश की। उसकी मांग थी कि मंत्री सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगें और आने वाले चुनाव लड़ने के लिये उन्हें पार्टी टिकट न दे। उसने स्त्री संगठनों से भी सम्पर्क किया। कुछ ने उसे सुझाव दिया कि वह पत्रकारों के पास जाये और पुलिस में मामला दर्ज़ कराये। उसने पुलिस के पास जाना सही नहीं समझा, उसका कहना था कि सरकार को समय देना चाहिये, वे ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों से अवश्य उसने सम्पर्क साधा। एक बार जब इस मामले को ख्याति मिल गई तो इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई (अन्सारी मुसलमान है) तथा खुद मुक्तिदत्ता के इरादों के बारे में दावे किये गये। कुछ स्त्री संगठनों का विचार था कि मुक्तिदत्ता ने स्वयं जो करना पसंद किया तथा स्त्री संगठन जो ठीक समझते थे उन नीतियों में अन्तर था। सोचने के ढंग का फर्क,

राजनीतिक तत्व तथा इस्तेमाल की गई नीतियों के कारण आखिर में स्त्री संगठनों के लिये इस मामले को और आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया।

स्त्री समूहों के सामने सवाल था— क्या वे अपना समय और शक्ति इस तरह के प्रसिद्धि पाने वाले मामलों में लगाए जहाँ औरत की अपनी दिलचस्पी स्त्री संगठनों से फ़र्क हो और जहाँ मुद्दा राजनीतिक जंजाल में उलझ गया हो?

उदाहरण 7 : सुमन रानी पुनरावलोकन याचिका (दिल्ली)

1984 में दो सिपाहियों ने सुमन रानी नाम की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और निम्न न्यायालय ने उन्हें दस वर्ष कैद की सज़ा दी। संरक्षण के दौरान बलात्कार के इस मुकदमे में पहली बार सज़ा दी गई थी तथा इसमें संरक्षण में बलात्कार सम्बन्धी बदले हुये कानून के तहत पुलिस बलात्कार के लिये कम से कम अवश्य दी जाने वाली सज़ा को लागू किया गया था। ऐतिहासिक बन चुके मथुरा तुकाराम मामले में सिपाहियों के छूट जाने के बाद स्त्री संगठनों के लम्बे लगातार संघर्ष के बाद उन्हें कानून में परिवर्तन की यह जीत मिली थी।

उच्च न्यायालय ने उसी सज़ा को बरकरार रखा परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उसे घटा कर पाँच वर्ष कर दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कहना था कि चूंकि सुमन रानी ने मामला बलात्कार के पूरे एक सप्ताह बाद दर्ज़ कराया था इसलिये उसके 'व्यवहार' पर संदेह होता है। जबकि लिखित गवाही मौजूद है कि उसे अपने परिवार के पास लौटने में एक सप्ताह का समय लगा और तब परिवार की मदद से यह मामला दर्ज़ कराया गया। ज़ाहिर है स्त्री संगठनों ने इस मामले की फिर से सुनवाई की याचिका पेश की जिसे ठुकरा दिया गया।

मुख्य बात यह है कि स्त्री आन्दोलन की अथक कोशिशों से हुआ कानूनी संशोधन भी कानूनी व्यवस्था में रचे बसे पुरुषवादी नज़रिये के कारण हमारे ख़िलाफ़ गया।

उदाहरण 8 : सी.पी.एम. कार्यकताओं द्वारा कष्टकारी संगठन कर्मक का बलात्कार दहानू (महाराष्ट्र)

पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं द्वारा बलात्कार पर रोशनी डालने वाला यह मामला सामने आया जिसमें सी.पी.एम. कार्यकताओं ने कष्टकारी संगठन की एक कर्मक के साथ बलात्कार किया और पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि अनेक समूहों के स्त्री-पुरूष कर्मकों ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया परन्तु आज तक इस मामले का कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकला है। दहानू की सी.पी.एम. ने किसी भी ज़िम्मेदारी से इंकार किया। स्त्रियों तथा अन्य कई समूहों ने मोर्चे निकाले, सही तथ्यों की एक रपट जारी की लेकिन सी.पी. एम. या कानूनी व्यवस्था के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। इस मामले तथा इसी तरह के दूसरे मामलों पर बातचीत करने से जो भी मोटे-मोटे सवाल उभरे वे इस प्रकार हैं:

- कानून का सहारा लेना चाहिये या नहीं?
- जब स्त्री संगठनों से दो भिन्न तरह की आशाएं की जायें तो उनका रवैया क्या हो?
- पति या परिवार के सदस्य द्वारा बलात्कार या फिर नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला हो तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये?
- सामूहिक, राजनैतिक, साम्प्रदायिक या फिर बड़ी संख्या में हुए बलात्कारों से कैसे निपटा जाये?
- कानून के वर्तमान रूप के साथ किस तरह काम किया जाये?
- कानूनी सहायता के अलावा ऐसी कौन सी वैकल्पिक नीतियाँ हैं जो काफ़ी फायदेमंद साबित हुई हैं?
- अगर स्त्री मुकदमा चलाना न चाहती हो तो ऐसी हालत में स्त्री संगठन किस तरह आगे काम बढ़ायें?
- विरोध प्रदर्शन के हमारे तरीके कितने असरदार साबित हुये हैं?
- बलात्कार की शिकार औरतों-लड़कियों के लिये सहायता केन्द्र, सलाह मशविरा और सामान्य सहारा मुहैया कराने में हम कितनी सफल रही हैं?

जो मुद्दे सबसे पहले उठाये गये उनमें मुख्य था, बलात्कार की दोबारा से परिभाषा करना। हमने 20-25 औरतों के तीन झुण्ड बनाये और बाद में फिर से अपने विचार मिल बाँटने के लिये एक साथ आ जुड़ी।

दोबारा परिभाषा का सवाल

सबसे पहले तो यह देखना है कि हम क्यों बलात्कार की दोबारा परिभाषा करना चाहती हैं। क्या हम यह सिर्फ़ विचारात्मक स्तर पर करेंगी? क्या हम इसे कानूनी व्यवस्था के साथ जोड़ेंगी? क्या हम कानून को सिर्फ़ यह कह कर त्याग दें कि

बलात्कार की इसने जो परिभाषा दी है वह नुकसान की पूरी भरपाई नहीं करती? क्या बलात्कार सचमुच मौत से खराब है? या क्या हमने भी बलात्कार के प्रति पितृसत्तात्मक सोच को मान कर उसी तरह का रुख अपनाया है?("मैं सोचती हूँ मेरे दिमाग और विचारों को पहुँचाया गया नुकसान कहीं अधिक तकलीफ़देह होगा बजाय योनि को पहुँचे नुकसान के जो ारीरिक है और 15 दिन में ठीक हो जायेगा।") क्या वास्तव में हमारा बलात्कार होना ज़रूरी है या फिर यौन इच्छा से प्रेरित किसी भी प्रकार का हमला या छेड़छाड़ उतनी ही तकलीफ़देह नहीं होती?

यह बात साफ़ थी कि सरकार, समाज कानूनी और राजनैतिक व्यवस्था के अनेक स्तरों पर बलात्कार के मुद्दे से निपटने के लिये पिछले दस सालों में स्त्री संगठनों ने जो नीतियाँ विकसित की थीं उनसे हमें निराशा हुई थी तथा आज के हालात को देखते हुये यह ज़रूरी हो गया है कि हम इससे निपटने के लिये दूसरे रास्ते ढूँढे। शुरूआत से ही हमने महसूस किया कि इस बार हमें बलात्कार की **नई परिभाषा** तैयार करनी चाहिये। इस मुद्दे की नई धारणा और नई नीतियाँ तैयार करने के लिये शुरूआत स्त्रियों के शरीर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर हुये हमलों के अनुभवों से हुई।

अतः चर्चाएं दो स्तरों पर हुईं अनुभव के स्तर पर और विचारधारा के स्तर पर। मोटे तौर पर इन्हें दो तरह से बाँटा जा सकता है।

अनुभवात्मकः खास मामले – स्त्रियों के अनुभव, स्त्री संगठनों के अभियान – नीतियाँ – चालें।

विचारात्मक : पुनर्परिभाषा – पितृसत्तात्मक – नियंत्रण ताक़त के रूप में बलात्कार – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जड़ें – तथा हिंसा।

बलात्कार की दोबारा परिभाषा करने की चर्चा का आरम्भ यहाँ दिये गये मामलों को दोहराने (कुछ अन्य मामलों के साथ जिनके बारे में यहाँ पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है) और उनके लिये अपनाई गई नीतियों और अभियानों की बातचीत से हुआ। जैसी कि उम्मीद थी तीनों समूहों ने अपनी चर्चाओं में इस समस्या के अलग अलग पहलुओं पर ज़ोर दिया। यहाँ हम कोशिश कर रही हैं कि चर्चाओं में जो कुछ कहा-सुना गया उसका कुछ विवरण दें और इन अलग-अलग हुई बहसों का सम्मिलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

सामूहिक चर्चा : संक्षिप्त विवरण

"यह जो बेइज़्ज़ती का पूरा चक्कर है इसमें शारीरिक पवित्रता से हट कर बहुत कुछ है। हमें बलात्कार से अपने भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ना पड़ता है। यह कोई चोरी या सेंध लगाने की तरह नहीं है, हमें मालूम है यह कोई मामूली अपराध नहीं है। किस तरह से हम कानून के लिये, अपने लिये और समाज के लिये बलात्कार की परिभाषा निश्चित करें?"

(अ) पुराने समय से और आज भी, जिस तरह से बलात्कार शब्द को योनि के भीतर लिंग प्रवेश के साथ जोड़ा जाता है, बलात्कार को मौत से भी बदतर किस्मत समझने की भावना, बलात्कार के साथ जुड़ी बेइज़्ज़ती और उसका बदला, चोरी की परिकल्पना से विकसित बलात्कार की धारणा, बलात्कार को स्त्री तथा स्त्री की काम भावना के स्वामित्व से जुड़े अपराध के रूप में देखना ये सभी सोच पुरुषवादी तथा पुरुष परिभाषित हैं। इस सोच को चुनौती देने के लिये हमें अपनी परिभाषा सामने रखनी होगी, उसके लिये शर्तें तय करनी होगीं और शायद अब तक इस्तेमाल किये जाने वाले शब्दों और भाषा को बदलना होगा। स्त्री के दृष्टिकोण से "हमला" शब्द शायद अधिक सम्पूर्ण अर्थ संजोये हुये है।

(आ) हालांकि सामान्य रूप से औरत की काम भावना पर कोई ख़ास चर्चा नहीं हुई, एक समूह ने ज़रूर बलात्कार को नज़र में रखते हुये, यौन आनन्द और सन्तुष्टि के नियमों पर बात की। यह अनुभव किया गया कि स्त्रियाँ बग़ैर सहवास की इच्छा किये भी शारीरिक निकटता से आनन्द पा सकती हैं। इस प्रकार से ख़ासकर वैवाहिक बलात्कार निरन्तर होने वाला हमला है क्योंकि विवाह में यह मानकर चला जाता है कि स्त्री की "रज़ामन्दी" है तथा विवाह के साथ कुछ "अधिकार और सुविधाएं" जुड़ जाती हैं यह प्रायः अपनी ताक़त का हिंसक प्रदर्शन होता है तथा इसमें औरत को काम सम्बन्धों से सुख और आनन्द पाने के हक़ से वंचित कर दिया जाता है। यह एक ही समय में औरत के अस्तित्व पर हमला है और इसे हमें कुचलना भी है। यहाँ जो मुद्दा है, वह है रज़ामन्दी का, चूँकि पुरुष, स्त्री के यौन सुख को अपने आनन्द से जोड़ कर देखते हैं, यह मान लिया जाता है कि विवाह के भीतर काम सम्बन्ध के लिये औरत हमेशा राज़ी होती है। यदि हम स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों में मौजूदा असमान ताक़त के बँटवारे की चर्चा करें तो वैवाहिक

बलात्कार को बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। हमारी रण नीतियों के चुनाव से हम अपने को दृढ़ कर पायेंगी, अपनी भावनाओं को शब्द दे सकेंगी और इस मिलन से वह सुख ले पायेंगीं जिसका निर्णय अब तक सिर्फ़ पुरुष के हाथ में रहा है।

> पुरुषों के संदर्भ में ताक़त को लिंग प्रवेश की ताक़त और ज़ोर जबर्दस्ती से अपनी काम भावना और आनन्द को पाने से जोड़ा जाता है। जब तक औरत इससे सहमत न हो यह उसके लिये एक हमले के समान है।

(इ) जहाँ तक कानून का सवाल है,बलात्कार तभी एक अपराध का रूप लेता है जब उसकी शिकायत दर्ज़ की जाये। ऐसी स्थिति में नाबालिग, बाल बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, बड़ी संख्या में बलात्कार, साम्प्रदायिक और राजनैतिक बलात्कार, सेना द्वारा बलात्कार, भीड़ द्वारा बलात्कार आदि मामलों में अपराध की गहराई को मापने का हमारे पास क्या तरीका है? ऊपर दिये गये वर्गों में से आखिरी कुछ उदाहरणों को हम व्यक्तिगत मामलों से आगे बढ़ कर देखते हैं कि राजनैतिक ताक़त के रूप में, एक हथियार के रूप में बलात्कार को सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक शह मिली हुई है।

कौन से न्यायालय की हिम्मत है कि श्री लंका में शान्ति सेना द्वारा किये गये बलात्कारों की सज़ा दे सके या उन पाकिस्तानी या हिन्दुस्तानी सिपाहियों को दण्डित कर सके जिन्होंने ''दुश्मन'' की खुलेआम बेइज़्ज़ती करने के लिये ''ज़िन्दा और मुर्दा'' बंगलादेशी औरतों के साथ बलात्कार किया?

> केरल के थंगामनी बलात्कार मामले में पुलिस के 14 सिपाहियों ने मर्दों के डर कर भाग जाने के बाद बड़ी संख्या में औरतों के साथ बलात्कार किया था। उसके बाद उन्होंने छात्रावास की कुछ इसाई मठवासिनियों के साथ भी बलात्कार किया। श्रीदेवी आयोग की रपट के निष्कर्षों के बावजूद सभी 14 सिपाहियों की पदोन्नति कर दी गई। कहा यह गया कि ''इन मार्क्सवादियों ने पूरी कहानी गढ़ ली है।''

(ई) किसी भी प्रकार के यौन हमले को बलात्कार माना जाना चाहिये। बड़े शहरों की बसों के भीतर घुसने और निकलने में जो कुछ सहना पड़ता है वह बलात्कार जैसा ही है।

''यह औरत की खुशहाली को खत्म करने के लिये सोच समझ कर की गई कोशिश है। छेड़छाड़ के पीछे भी वही इरादे होते हैं जो बलात्कार के पीछे।'' जिन स्त्रियों ने बलात्कार को भोगा है उनके सख्त सदमे को मानते हुए हमने सभी प्रकार के यौन हमलों में पाये जाने वाले एक जैसे मुद्दों पर बातचीत की। एक तो इस विषय पर काफ़ी ज़ोरदार बहस हुई कि औरतें बलात्कार को किस ढंग से देखती हैं तथा दूसरी उन सभी भद्दी हरकतों पर जिनके पीछे यौन भावनाएं काम करती हैं। इन सबको यौन अत्याचार माना गया। इस नज़रिये के तहत लिंग प्रवेश यानी बलात्कार को अधिक हिंसक कार्रवाई मानने के लिये ज़ोर देने की कानूनी माँग का महत्त्व कम हो जाता है। इस दृष्टिकोण से छेड़छाड़, नोचना मसलना, भद्दे इशारे और व्यवहार, उत्सव आदि में आक्रामक यौन भंगिमाएं दर्शाना सभी एक जैसे महत्वपूर्ण होते हैं। सवाल यह उठाया गया कि आखिर पुरुष अपने आपको इतना ताक़तवर क्यों समझते हैं कि वे औरत का अपमान करें और उसे शर्मिन्दा कर सकें तथा औरतें अपने आपको इतनी शक्तिहीन क्यों समझती हैं कि वे उन्हें रोक नहीं सकतीं। यदि सभी यौन कार्रवाइयों पर और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की ताक़त पर सिर्फ़ पुरुषों का हक़ है चाहे वह घर के भीतर हो (कानूनी तौर पर) या घर के बाहर हो (ग़ैर कानूनी तौर पर) तो क्या औरतों को नहीं चाहिये कि वे ताक़त के ऐसे सभी प्रदर्शनों को चुनौती दें?

(उ) सभी ने यह महसूस किया कि बलात्कार की गई औरत को कलंकित मानने (जबकि अपराध उसके साथ किया गया है) और उसे न्याय भी न देने के लिये यह समाज और उसका पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण ज़िम्मेदार है। इस तरह से वह एक नहीं दो बार शिकार बनाई जाती है। यदि यह बात सच है तो फिर क्यों न हमारी नीति यह हो कि समाज द्वारा थोपी गई शर्मिन्दगी से साफ़ इंकार कर दें, सामाजिक रूप में बलात्कार को ''झूठा'' महत्त्व न दें और न ही इन सबके ''सामने झुकें''। यह तय करना औरत का हक़ है कि हमले का उसके लिये क्या मतलब है, यह उसके लिये अपमान की अन्तिम स्थिति बने या नहीं।'' हमारा मक़सद यह है कि यौन हमलों की सामाजिक समझ को औरत के शारीरिक अस्तित्व पर हमले के रूप में दोबारा परिभाषित करें और कलंक का धब्बा बलात्कारी पर धरें।

सम्मिलित समूह में यह अनुभव किया गया कि एक सम्भावना तो यह है कि बलात्कार शब्द को लिंग प्रवेश के साथ न जोड़ें इससे बलात्कार शब्द की परिभाषा वर्तमान पुरुषवादी समझ और उसकी परिभाषा की सीमा से आगे निकल जायेगी। यह भी मानना था कि बलात्कार के यौन पक्ष को हिंसा पक्ष से अलग करना भी एक रास्ता हो सकता है। इस रास्ते ने जो समस्याएं खड़ी कीं उन पर भी चर्चा हुई। सबसे मुख्य तो यही थी कि यदि बलात्कार को केवल हिंसा की कार्रवाई के रूप में देखा गया तो उससे इस सच्चाई पर पर्दा पड़ जायेगा कि स्त्री के ख़िलाफ़ पुरुष हिंसा अधिकतर यौन सम्बन्धी होती है। यह तथ्य कि बलात्कार यौन भावना से जुड़ा है अपने आपमें महत्त्वपूर्ण है।

एक अन्य स्तर पर यह भी बताया गया कि उपर्युक्त नीति किसी ख़ास उदाहरण में एक औरत के लिये रामबाण साबित हो सकती है लेकिन जाति, वर्ग या सामुदायिक बलात्कारों के वर्तमान ताक़ती ढाँचों पर इसका ख़ास असर नहीं पड़ेगा और न ही यह विभिन्न वर्गीकृत बलात्कार जैसे संरक्षण में, संस्था में, सेना या भीड़ द्वारा बलात्कार के मामलों में कोई लाभ पहुँचा सकेगी।

यह भी विचार था कि बलात्कार की परिभाषा को इतने व्यापक बना देने से समाज, कानूनी व्यवस्था तथा आमतौर पर पुरुषों को किसी भी जवाबदेही से छूट मिल जायेगी और वे किसी भी ज़िम्मेदारी से पल्ला छुड़ा सकेंगे, जिसे वे आज भी उठाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस परिभाषा से सज़ा पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखना पड़ेगा। यदि छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार से होने वाली मौत तक के अपराधों की एक लम्बी कड़ी, ''यौन हमलों'' के अन्तर्गत मान ली जायेगी तो अपराध के लिये सज़ा का रूप निश्चित करना कठिन हो जायेगा। असली बलात्कार से गर्भ ठहर जाने या गंभीर शारीरिक चोट लगने पर हम क्या करेंगी ? बाल बलात्कार या वैवाहिक बलात्कार से कैसे निपटेंगी? इन सभी को गंभीर अपराध ठहरा देने पर हमारा रुख क्या होगा? क्या वास्तव में हम कह सकती हैं कि छेड़छाड़ और बलात्कार बराबर गंभीर है?

इस तरह से सवाल यह है कि यदि वर्तमान के लिये हम अपनी विस्तृत परिभाषा निश्चित कर लेती हैं तो भी हम समाज और कानूनी व्यवस्था को किस प्रकार उत्तरदायी ठहरायेगीं? उसी हिसाब से फिर हम संस्थागत हिंसा से कैसे लड़ेंगी? वे सब बलात्कार जो संरक्षण में, किसी संस्था में या राजनैतिक, साम्प्रदायिक और सरकारी तंत्र द्वारा किये जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपनी ताक़त जतलाना है उनसे कैसे मुकाबला करेंगी? यह समझना ज़रूरी है कि इस प्रकार के बलात्कारों के पीछे औरतों के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती और बेइज़्ज़ती कर के दूसरे समूह के मर्दों को दबाने, उन्हें शर्मिन्दा करने का उद्देश्य होता है। यह बदला लेने, डराने, चुप करवा देने के लिये किया जाता है। यह लक्ष्य बग़ैर वास्तविक बलात्कार किये नहीं पाया जा सकता। ऐसा न होता तो जीतने वाली फ़ौज, हारने वाली फ़ौज (यहाँ तक कि शान्ति क़ायम करने के लिये गई फ़ौज) भी दुश्मन की औरतों के साथ बलात्कार न करती और बलात्कार से जन्मे बच्चों की माएं हमेशा के लिये कलंकित हो जाती हैं जबकि उनके बलात्कारियों को सार्वजनिक सम्मान दिया जाता है।

एक वैकल्पिक सम्भावना यह है कि सज़ा देने के लिये या नुकसान की भरपाई के लिये ''यौन हमलों'' की गम्भीरता के स्तरों की सूची या क्रमांक बनाया जाये। इस सुझाव पर हम इस बैठक में ज़्यादा विस्तार या गहराई से बात नहीं कर पाईं। अतः जो निष्कर्ष निकाला गया वह यह था कि हालांकि बलात्कार को दोबारा परिभाषित करने की ज़रूरत है, हमें इस पुनर्परिभाषा को अकेले नहीं बल्कि बड़े सामाजिक कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखना-ढूँढना होगा। दूसरे शब्दों में यों कहें कि हम व्यक्तिगत रूप से एक औरत के साथ हुये **यौन उल्लंघन** से औरतों के साथ होने वाले बलात्कारों की ओर बढ़ें, इस तरह से मुख्य मुद्दा हमेशा सामने रहेगा। यह बात विचारधारा के रूप में भी उतनी महत्त्वपूर्ण है जितनी इसका मुकाबला करने के लिये नीतियों का चुनाव है।

नीतियाँ

हालांकि इस पर कोई एक राय नहीं हो पाई थी कि हम बलात्कार की दोबारा परिभाषा किस तरह करेंगी लेकिन बैठक के दूसरे दिन इस बात पर विचार अवश्य हुआ कि विरोध और मुकाबले की हमारी नीतियाँ क्या होनी चाहियें। एक बार फिर हम पहले छोटे समूहों में बँटीं और फिर अन्तिम चर्चा के लिये एक साथ मिल कर बैठीं।

कानूनी तथा वैकल्पिक नीतियों पर बातचीत हुई। दो बातें ध्यान में रखी गईं— पहली तो यह कि किसी ख़ास औरत के बलात्कार की समस्या तथा स्त्री संगठनों के पास आने वाले ऐसे मामलों से निपटने के उनके तरीके, दूसरी, सामाजिक-कानूनी राजनीतिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बलात्कार को एक मुद्दे के रूप में समझना और निपटना। दोनों तरह की नीतियाँ तय करने के लिये ज़रूरी है कि हम यह भी देखें कि अतीत में हमने इन पक्षों से कैसे निपटा है, अपने अभियानों को किस तरह विकसित किया है और भविष्य में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिये। चर्चाओं का कोई आखिरी निष्कर्ष तो नहीं निकला लेकिन अनेक सवाल उठाये गये और उन पर बहस हुई।

"स्त्री समूहों से बहुत सी आशायें और उम्मीदें हैं। स्त्री समूहों के पास मामले आते रहते हैं परन्तु यह संभव नहीं कि केन्द्र हर मामले को अपने हाथ में ले ले। हम ऐसे कर्मक भी तैयार नहीं कर पाई हैं जो अपने आप विभिन्न मुद्दों को उठा सकें। हमें चहिये कि हम ज़िम्मेदारी को समाज पर तथा अपराध करने वाले पुरुष पर डालें, स्त्री संगठन पूरा बोझ नहीं उठा सकते।"

"यह ज़रूरी है कि मर्द को शर्मिन्दा किया जाये। कई स्त्री संगठनों ने इस तरीके का इस्तेमाल किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द हमेशा अपने किये पर शर्मिन्दा होते हों या पछताते हों इसलिये सज़ा मिलनी भी ज़रूरी है।"

"हम बलात्कार के मसले में हमेशा औरत के नाम से केस को जानते हैं जिससे औरत के नाम का प्रचार होता है जबकि हमें मर्द जिसने अपराध किया है उसके नाम से केस की जानकारी देनी चाहिये।"

"हम किस तरह से ख़ास उदाहरणों और बलात्कार की धारणा के बीच की कड़ी को जोड़ें? हमें अपनी विभिन्न नीतियों के बीच का रास्ता ढूँढना होगा। कष्टकारी संगठन वाले मामले को हमें केवल एक छिट पुट घटना की तरह देखना चाहिये या इसे विरोधी पार्टी के हमले के रूप में समझना चाहिये।

"हम पिछले दस सालों की अपनी उपलब्धियों को कुछ हल्के ढंग से ले रहें हैं परन्तु यह सच है कि जागरूकता का स्तर बहुत अधिक बढ़ा है। कानूनी व्यवस्था पर बार बार चोट करने से हमारे आन्दोलन को मदद मिली है।"

"हम भिन्न राजनीतिक हित वाले दूसरे समूहों के साथ कैसे काम करें?"

1. व्यक्तिगत औरतों का सवाल

यह सुझाव दिया गया कि व्यक्तिगत औरतों की समस्या को तीन ढंग से समझा जाये:

(अ) यौन भावना के सम्बन्ध में उसके अपने सोच के माध्यम से (यह बात विशेष रूप से वैवाहिक बलात्कार के मामले में महत्त्वपूर्ण है।)

(आ) वर्ग/संस्कृति के अनुसार उसकी स्थिति।

(इ) रहने की जगह, सलाह मशवरा तथा उसे फिर से बसाने के सम्बन्ध में उसकी आवश्यकताएं।

बलात्कार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के ख़िलाफ़ शिकायतों में ख़ास यही है कि हम उसे शिकार हुई व्यक्ति विशेष के सन्दर्भ से हट कर देखती हैं, जैसा कि निम्नांकित से ज़ाहिर है:

(अ) गोवा के नर्वेकर मामले में, हालांकि स्थानीय स्त्री समूह ने घटना को काफ़ी प्रचारित करने में सफलता पाई लेकिन बाद में उस लड़की का कहना था कि अच्छा होता अगर वह स्त्री संगठन के पास गई ही ना होती। प्रचार का नतीजा यह हुआ कि वह बदनाम हो गई। यहाँ तक कि उसकी सगाई टूट गई, चूंकि लड़के के परिवार वाले इतनी "मशहूर" बहू लाना नहीं चाहते थे; जबकि वह केवल इतना चाहती थी कि उसे दूसरी जगह नौकरी दे दी जाये। वास्को में जिस मज़दूरनी के साथ बलात्कार किया गया था उसने इस घटना को अपनी किस्मत मान कर स्वीकार कर लिया था। उसके लिये तो दो वक्त पेट भर खाने का सवाल ज़्यादा अहम् था।

(आ) हैदराबाद की मैत्रेयी ने भी यह सवाल उठाया कि किस तरह से समूह और उस औरत की प्रतिक्रिया में मेल बैठाया जाये। हालाँकि उनके उठाये मामले में बलात्कारी अभी जेल की सज़ा काट रहा है लेकिन उस लड़की की माँग

सिर्फ़ एक ही है कि बलात्कारी उससे शादी करे ताकि वह उसके साथ बँध जाये तथा किसी और औरत से ब्याह न कर सके। विडम्बना यह है कि बलात्कारी विवाह के लिये 30 लाख रुपये दहेज में माँग रहा है। इस प्रकार के मामलों में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलू हैं तथा स्त्री संगठनों के लिये हमेशा इनसे निपटना आसान नहीं होता।

2. अभियान/समुदाय की प्रतिक्रिया

(अ) स्त्री संगठनों के ख़िलाफ़ एक शिकायत यह थी कि वे व्यक्तिगत बलात्कार के मामलों को उठाते तो हैं लेकिन उन मामलों के पूरी तरह निपट जाने तक अपना अभियान ज़ारी नहीं रख पाते। वहाँ भी प्रायः यह मामले या तो प्रसिद्धि या राजनैतिक रूप से नाज़ुक होते हैं जैसे कि सुमन रानी, कष्टकारी संगठन या एयर इण्डिया का मामला। निम्नस्तर या जाति या आम ग़रीब औरतों के साथ हुये बलात्कारों की ओर पत्रकार और स्त्री संगठन दोनों ही बहुत कम ध्यान देते हैं। बलात्कार जो रोज़ यहाँ वहाँ होते रहते हैं, से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रसिद्ध मामलों के साथ-साथ बलात्कार के मुद्दे को मद्दे नज़र रखना भी ज़रूरी है। तथा ऐसी नीतियाँ भी ढूंढना जो दोनों में फ़ायदेमंद हों। लम्बे दौर पर लोगों में चेतना जागृति की भी ज़रूरत है जिसका अर्थ होगा कि जिस इलाके में बलात्कार की घटना घटी है वहाँ के समुदाय को भी इस विषय से जोड़ा जाये और इस भ्रान्ति को दूर किया जाये कि बलात्कार कोई लाइलाज मसला है।

(इ) बलात्कार को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाने के लिए सम्पर्क माध्यमों के महत्त्व पर भी ज़ोर दिया गया है। उन्हें चाहिये कि वे बलात्कारी पर रोशनी केन्द्रित करके मर्दों में जवाबदेही की भावना पैदा करें न कि औरत और बलात्कार को चटपटी खबर बनायें। घटना को प्रचारित करने की ज़रुरत तो है लेकिन सम्पर्क माध्यम दोधारी तलवार की तरह हैं जो समाचार को सनसनीखेज़ और संवेदनाहीन रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा कि साफ़ तौर पर एयर इण्डिया परिचारिका के मामले में हुआ। पत्रकारों ने भी सावधान किया कि सम्पर्क माध्यम स्वयं बड़े शक्ति ढाँचों के भीतर रह कर काम करते हैं तथा उन पर इक्का-दुक्का पत्रकार के अपने दृष्टिकोण का असर नहीं होता।

(ई) बलात्कार की शिकार ज़्यादातर औरतों की पहली ज़रूरत होती है रहने की जगह और सलाह। औरत को अपने जाने पहचाने माहौल से हटाने के प्रभाव के बारे में कुछ संदेह प्रकट किये गये, इसके अलावा वे अल्पकालीन घर कैसे हों क्या वहाँ प्रत्येक वर्ग व जाति की औरतों को साथ रखा जाये, इसके बारे में भी कुछ डर थे। सलाह-मशवरे का उद्देश्य यह होना चाहिए कि औरत इस खामखयाली का शिकार न हो जाये कि अब वह किसी लायक नहीं रही है।

3. कानूनी भरपाई का सवाल

"न्यायाधीशों से लेकर आम आदमी तक सभी मर्दों ने औरतों को दबाया है और वही न्याय देने वाले हैं। औरतों के लिये न्याय पाने की क्या सम्भावना रहती है?"

"बलात्कार कानून का इतिहास औरत के कहे पर अविश्वास करने का इतिहास है।"

"कानूनी कार्रवाई में 15 साल भी लग सकते हैं उसके बाद बलात्कारी को 5 साल की सज़ा मिलती है, मैं कहती हूँ आखिर ये.....?"

"बलात्कार के जुर्म के लिये गिरफ़्तार नब्बे प्रतिशत मर्द ज़मानत पर छोड़ दिये जाते हैं।"

"न्यायाधीश ने औरत से कहा 'रोज़ तुम एक नई कहानी गढ़ लेती हो' यह सुन कर उसे इतना कष्ट हुआ कि उसने वहीं अपना ब्लाउज़ खोल दिया। उसके जिस्म पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। न्यायाधीश ने उस पर अदालत में भद्दे व्यवहार का इलज़ाम लगाया।"

एक लम्बी बहस में वर्तमान कानून व्यवस्था के अन्तर्गत कानून तथा समय से पूरा न्याय मिल पाने की सम्भावना पर चर्चा हुई जिससे यह पता चला कि हम सभी सामान्य तौर पर कानूनी भरपाई से कितनी निराश हैं। बलात्कार की परिभाषा, उसकी कानूनी प्रक्रिया, गवाही, सबूत की ज़िम्मेदारी और इस सबसे बढ़कर न्याय व्यवस्था में साफ़ दिखने वाले पूर्वाग्रह यानि कानून का हर पहलू बलात्कार की शिकार के ख़िलाफ़ कमर कसे हुये है। पितृसत्तात्मक सरकार से

न्याय पाने के लिये हमें ऐसी नीतियाँ तय करनी होंगी जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से मर्दों की अदालत में सफल हो सकें। कानून में परिवर्तन यह ध्यान में रख कर करने होंगे कि स्त्रियाँ पुरुषवादी दण्ड विधान को केवल एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकती हैं। ''तो क्या फिर हमें कानूनी सहायता पर अपनी निर्भरता कम नहीं करनी चाहिये और अपनी पूरी ताक़त बलात्कार की गई औरत के लिये समर्थन इकट्ठा करने, सलाह मशवरा देने और उसे दोबारा से सम्मानित रूप से स्थापित हो पाने में लगानी चाहिये जो उनके लिये ज़्यादा ज़रूरी और ठोस किस्म की सहायता होगी। उस औरत की मदद के लिये जिसे आज पैसे की ज़रूरत है, धन इकट्ठा किया जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाये इसके कि दस साल बाद बलात्कारी को पाँच साल की सज़ा हो जाये।

सभी खामियों को मद्देनज़र रखते हुये भी यह महसूस किया गया कि कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने का प्रतीकात्मक और रणनीति के रूप में भी महत्त्व है। कानूनी और धार्मिक किताबें नियम निश्चित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं जो हम पर शासन करते हैं और समाज के सामाजिक, नैतिक व्यवहार को तय करते हैं। दोनों ने ही औरत के दर्ज़े को गिरा हुआ तय किया है। उसे संस्थात्मक रूप से मज़बूत किया है और लम्बे चौड़े, जटिल पितृसत्तात्मक विधि विधान के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया है कि यह हमेशा नीचा ही रहे। ये दस्तावेज़ औरत के ऊपर मर्द की ताक़त का जीता जागता उदाहरण हैं। यदि हम दूसरे क्षेत्रों में इस ताक़त के प्रदर्शन को चुनौती दे रहीं है तो फिर कानून को चुनौती न दें यह कैसे हो सकता है? इसलिये ताक़तवर निहित स्वार्थों को उठा फेंकने की कठिनाइयों को समझते हुये भी हालात को बदलने की लड़ाई ज़ारी रखनी है। मिसाल के लिये सबूत की ज़िम्मेदारी के सवाल को लेते हैं। सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी अभियुक्त के ऊपर डालना वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मुद्दा है क्योंकि इसके मार्फ़त जुर्म की छाया औरत के ऊपर से हट कर मर्द पर गहरी हो जाती है तथा यह मान लिया जाता है कि जब तक इसका उलटा सिद्ध न कर दिया जाये अपराध किया गया है। यही बात रज़ामन्दी, चाल-चलन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है जिसका बोझ अभी भी औरत के ऊपर है।

बलात्कार की परिभाषा के अलावा जिन बदलावों का सुझाव दिया गया वे थे — सबूत सम्बन्धी कानून, बलात्कार को ग़ैर जमानती अपराध घोषित करना और नारीवादी न्यायाधीशों की नियुक्ति। औरत को हरज़ाना देना लाज़मी हो, बलात्कार के मुकदमों के लिये अलग वैकल्पिक अदालतें बनाई जायें तथा एक निश्चित समय में फ़ैसला करना ज़रूरी हो। हालाँकि ये माँगे कोई नई नहीं है लेकिन अभी तक ''प्रगतिशील'' वकीलों के साथ भी स्त्री संगठनों को इन मुद्दों पर कम ही सफलता मिली है।

4. सामाजिक दबाव

खालिस कानूनी समाधानों की एवज़ के रूप में सजा देने के नये नये तरीकों पर काफी ज़ोर दिया गया। इनका संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है:

(क) आर.डब्ल्यू. एल.एम. (तमिलनाडू) के उदाहरण में ग्राम पंचायत ने तय किया कि बलात्कारी हरज़ाने के रूप में अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा औरत के नाम कर देगा।

(ख) ग्रामीण नारी मुक्ति आन्दोलन ने कई बार बलात्कार की गई औरत की इच्छा से उसकी शादी अभियुक्त के साथ करवाई। (इस विकल्प के चुनाव के बारे में काफ़ी बहस हुई क्योंकि कई लोगों का विचार था कि यह तो दबाव की राजनीति को मज़बूत करने वाली कार्रवाई का साथ देने के जैसा ही है।)

(ग) एक तीसरा विकल्प था कि बलात्कारी का सामाजिक बहिष्कार या उसे 'जाति बाहर' कर दिया जाये। अनेक ग्रामीण समूहों ने बताया कि सज़ा के तौर पर यह बहुत असरदार तरीका है।

(घ) गोवा के नर्वेकर मामले में हमलावर को सार्वजनिक रूप से शर्मिन्दा करने की नीति थी। इस मामले में यह तरकीब बहुत कारगर रही क्योंकि यह राजनीतिक रूप से नाज़ुक मसला था तथा अभियुक्त एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था। यद्यपि बाईलान्चो साद समूह को काफ़ी विश्वसनीयता और जन समर्थन मिला, पर उस औरत पर इसका उल्टा ही असर हुआ जिसे अनचाहे बदनामी मिली।

एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये सभी समाधान आज भी पितृसत्तात्मक सन्दर्भ में ही फंसे हुये हैं, स्त्री समूहों को इसका भी विकल्प ढूँढना चाहिये। वे क्या हो सकते हैं और किस तरह लागू होने चाहिये, इसके लिये इस विषय पर और गहराई से चर्चा करने की ज़रूरत है।

इस बीच हमें यह भी समझ में आया कि अब तक हमने सिर्फ़ समस्या की पहली परत खुरची है। कई मुद्दे निपटाने के लिए बाकी थे और कई के बारे में हम चुप थीं जिससे यह साबित होता था कि सफलता पाने का रास्ता कितना मुश्किल है।

उदाहरण के लिये आज भी बाल विवाह को अधिक बड़ा सामाजिक दुर्व्यवहार समझा जाता है बजाये बाल बलात्कार के जो गंभीर अपराध है।

बलात्कार के दर्ज़ मामलों में से 70 प्रतिशत बाल-बलात्कार होते हैं जिनकी शिकार मुख्य रूप से 5 से 16 साल की बच्चियाँ होती हैं। फिर भी बलात्कार सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत बच्ची के साथ या वयस्क के साथ किये गये बलात्कार में कोई भेद नहीं है। ज़्यादातर अभियुक्तों को कभी सज़ा नहीं मिलती।

अभी तक बड़ी संख्या में हुये और राजनैतिक बलात्कारों के मामलों को स्त्री संगठनों ने एक जुट होकर नहीं उठाया है। इस प्रकार के अपराध मानव अधिकार उल्लंघन के तहत आते हैं (विशेषतः सेना द्वारा बलात्कार) तथा कम से कम उनका तो संवैधानिक हल निकाला जा सकता है।

क्या जागरूकता बढ़ाने की हमारी कार्रवाइयाँ पहले परिवार से शुरू न की जायें जहाँ इतनी अधिक हरकतें होती रहती हैं?

ग्रामीण इलाकों में हम किस तरह से मुद्दों और कानून के बारे में जानकारी मुहैया करायें? आदि आदि।

यह सब केवल यह दर्शाता है कि समस्या की जड़ें कितनी ज़्यादा गहरी हैं।

निष्कर्ष

सामान्य भावना यह थी कि इन दो दिनों में बहुत सार्थक अनुभवों, विचारों, दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान हुआ, अपने संशयों, संदेहों और निजी बातों को मिल बाँटने के लिये पहली बार एक सहानुभूतिपूर्ण या लगभग आत्मीय वातावरण मिला। यह विषय इतना जटिल, उलझा हुआ है और इसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं कि दो दिनों में तो केवल अपने परिप्रेक्ष्य, अपने नज़रिये को स्पष्ट करने की शुरूआत ही की जा सकती है।

ग्रामीण व ख़ासतौर पर दक्षिण के समूहों को लगा कि चर्चाएं काफ़ी उबाऊ हो जाती हैं। नाटिकाएं, गीत या कुछ सांस्कृतिक तत्व वातावरण को हल्का-फुल्का कर देते हैं तथा सदस्यों में भागीदारी की भावना बढ़ जाती है। उनका यह भी मानना था कि धारणा के सम्बन्ध में हुई चर्चा ग्रामीण औरतों के लिये बेमानी थी। उनके लिये तो ठोस, तात्कालिक समाधान होने चाहियें जो आर्थिक या अन्य प्रकार की वास्तविक सहायता दे सकें। उन्हें यह भी लगा कि औरत के शरीर पर प्रभाव के बारे में चर्चा ज़्यादा हुई बजाय सामाजिक स्वरूप के बारे में। कुछ भागीदारों का मत था कि यदि इसके बारे में पहले से मालूम होता तो कोई बीच का रास्ता खोजा जा सकता था ।

फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि अब केवल बलात्कार के बारे में ही नहीं बल्कि बलात्कार की कोशिश तथा अन्य तरह के यौन हमलों के बारे में भी अधिक चेतना है। (अब वैवाहिक बलात्कार के बारे में खुद औरतें इसे व्यापक समस्या मान कर बोल रही हैं।)

यह तय हुआ कि भिन्न-भिन्न जगहों पर, भिन्न समूहों के साथ इस बैठक की शुरुआत का बिन्दु बना कर चर्चाएं चलती रहनी चाहियें, संभवतः दिसम्बर 1990 में कालीकट में होने वाली बड़ी गोष्ठी की तैयारी के रूप में।

अंत में हम सभी ने महसूस किया, सभी कठिनाइयों के बावजूद दूरगामी आशावादी नज़रिये की ज़रूरत है तथा युवा कर्मको को इस आन्दोलन के साथ जोड़ कर इसमें नया जोश भरना चाहिये।

यह रिपोर्ट दिल्ली समूह द्वारा नारी अत्याचार विरोधी मंच व व्यक्तिगत सदस्यों की सामूहिक चर्चाओं के विवरण व नोट्स को आधार मानकर तैयार की गई है।

मूल "रिपोर्ट आफ़ नेशनल मीटिंग ऑफ़ विमेन्स ऑर्गनाइज़ेशन्स अगेन्स्ट रेप" का हिन्दी अनुवाद
अनुवाद - वीणा शिवपुरी

हिन्दी प्रकाशनः 'जागोरी' पठन सामग्री-3
प्रथम प्रकाशन : 1991

प्रकाशक : 'जागोरी'
बी-5, हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी, साउथ एक्सटैंशन भाग-1, नई दिल्ली-110 049
टेलिफ़ोन : 619510
सज्जा एवं निर्माणः डिज़ाइन एण्ड प्रिन्ट

गोष्ठी में भाग लेने वाली संस्थाएं

नारी अत्याचार विरोधी मंच,
120 साफल्य बिल्डिंग, पहली मंज़िल,
करी रोड, एन.एम.जोशी मार्ग,
बम्बई - 400 012

काली फॉर विमेन
ए-36, गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-110 049

रूरल विमेन्स लिबरेशन मूवमेन्ट
पेरुमुची विलेज,
अराकोणम,
एन. आरकॉट डिस्ट्रिक्ट,
तमिलनाडू

स्त्रेहिदी
4, रंगन स्ट्रीट, टी. नगर,
मद्रास - 600 017

विमोचना
द्वारा स्त्रीलेखा,
67, दूसरी मंज़िल, ब्लूमून कॉम्पलैक्स
एम.जी.रोड,
बंगलौर - 560 001

स्त्री उवाच
7-8, मंजरी, मकरंद सोसाइटी,
वीर सावरकर मार्ग, महिम,
बम्बई - 400 016

बोधना
हरिथाकम,
मेडे रोड, चेव्यूर
कालीकट - 673 017, केरल

महिला समूह
1831/1 रैम्बल रोड,
क्रिश्चियन गंज, अजमेर,
राजस्थान

जागोरी
बी/5, हाउसिंग सोसाइटी,
एन.डी.एस.ई - भाग-1,
नई दिल्ली - 100 049

एक्शन इण्डिया
5/24, जंगपुरा - बी
नई दिल्ली - 110 014

नारी केन्द्र
सनराइज़ अपार्टमेंट्स, पहली मंज़िल,
नेहरू रोड, वकोला,
सांताक्रूज़ - (पू.)
बम्बई - 400 055

सेवा निकेतन
भायकला ब्रिज के सामने,
सर जे॰जे॰ रोड, भायकला
बम्बई - 400 008

विमेन एन्ड मीडिया ग्रूप
केयर बी.यू.जे.
प्रोस्पेक्ट चेम्बर्स ऐनेक्स, दूसरी मंज़िल,
डी.एन. रोड,
बम्बई - 400 001

बायलांचो साद
304, प्रेमा बिल्डिंग,
रुआ डी कुरेम, पणजी,
गोवा - 403 001

पुणे विमेन्स राइट्स सेल
सुख कॉटेज,
109/2 अलंदी रोड, पोरवल पार्क,
यर्वदा,
पुणे - 411 006

स्टेप्स
299, राजगोपाल पुरम,
हाउसिंग यूनिट, पुडुकोट्टइ
तमिलनाडू - 622 003

स्त्री कृति
द्वारा पी. नाडकर,
अमीरानी मैन्शन, पहली मंज़िल,
स्टेशन रोड, महिम,
बम्बई - 400 016

मैत्रेयी
द्वारा कल्पना कन्नाबिरन
506, अमृत अपार्टमेंट्स,
कपाड़िया लेन, सोमाजी गुड़ा,
हैदराबाद - 500 482

वाचा
5, भावना,
गोल्डन टोबैको के सामने,
एस.वी. रोड, विले पारले (पश्चिमी)
बम्बई - 400 056

जसजीत पुरेवाल/नैना कपूर
बी -5/197, सफ़दरजंग ऐंक्लेव,
नई दिल्ली - 110 029

रत्ना कपूर
ए-78, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी,
दूसरी मंज़िल,
नई दिल्ली - 100 065